संख्या- 9 /2023/4106/26-3-2023-C.No-1522348

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 09 जनवरी, 2024

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4041/स0क0/शिक्षा-अ/2/452/2023-24, दिनांक-20.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के मुख्य लेखा शीर्षक 2225-अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 20-अनुसूचित जाति के कक्षा-9 व 10 में पड़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति के मानक मद-21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 8200.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 20- अनुसूचित जाति के कक्षा-9 व 10 में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति, 21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 8200.00 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0-8200.00 लाख (रूपये बयासी करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2023-24 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय

की फेर्जिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023 दिनांक 17.03.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(5) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

(6) प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(7) प्रश्नगत योजनान्तर्गत लाभार्थी के आधार सीडेड बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान किया जाय।

(8) यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस

हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्र 0 वि0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्र 0 वि0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से सम्बन्धित भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन लखनऊ में खुले ***SNA (Single Nodal Account)*** में जमा की जायेगी।

3- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय रू0-8200.00 लाख (रूपये बयासी करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 20- अनुसूचित जाति के कक्षा-9 व 10 में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति, 21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन मद में डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ 0 प्र 0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally Signed by रजनीश चन्द्र
Date: 09-01-2024 12:19:32
Reason: Approved
(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ 0 प्र 0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ 0 प्र 0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ 0 प्र 0, प्रयागराज।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ 0 प्र 0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ 0 प्र 0 लखनऊ।

6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ 0 प्र 0 शासन।

7- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ 0 प्र 0 लखनऊ।

8- निदेशक, एन 0 आई 0 सी0, योजना भवन, लखनऊ।

9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।